छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 57/2006

श्री संजीव कुमार, ... अपीलार्थी
पिता श्री सियाराम,
ग्राम–गीद्धा, पोस्ट–सेमरा,
जिला–जांजगीर चांपा
(छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
सरपंच,
ग्राम पंचायत गीद्धा,
विकासखंड नवागढ़,
जिला–जांजगीर चांपा
(छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(24 अगस्त 2006)

श्री संजीव कुमार, निवासी ग्राम–गीद्धा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नवागढ़ (जांजगीर) जिला–जांजगीर चांपा के आदेश दिनांक 7–11–2005 से असंतुष्ट होकर आयोग में अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत गीद्धा, विकासखण्ड–नवागढ़ के जन सूचना अधिकारी (सचिव, पंचायत) से ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम गीद्धा में हुए निर्माण कार्यों के स्वीकृति आदेश, प्रस्ताव, प्राक्कलन, मस्टर रोल, मूल्यांकन आदि अभिलेखों की जानकारी एवं प्रतियां चाही थी। सचिव एवं सरपंच, ग्राम पंचायत गीद्धा के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत कोई निर्देश नहीं है, अतः जानकारी नहीं दी जा सकती। आवेदक ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नवागढ़ (जांजगीर) जिला–जांजगीर चांपा को अपीलीय आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलीय अधिकारी के द्वारा विलंब से सरपंच एवं सचिव, ग्राम पंचायत गीद्धा को जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में लिखा गया। दिनांक 12–1–2006 को सरपंच को तामिल कराया गया, किन्तु सरपंच ने पत्र लेने से इंकार किया तथा 100 दिन बीत जाने के पश्चात् भी आवेदक को जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी कोई निर्णय नहीं दियें जाने के फलस्वरूप यह अपील की गई।

मेरे द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी दिनांक 23–5–2006 को अनुपस्थित रहे। अपीलार्थी ने सूचित किया कि उसे जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी ग्रामपंचायत को धारा–20(1) के अंतर्गत 25,000/– रूपए का अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि 15 दिनांक अंदर आवेदक को निःशुल्क जानकारी दी जावे। दिनांक 19–6–2006 को सरपंच जन सूचना अधिकारी श्री पुनीराम उपस्थित हुए। उनके द्वारा जवाब में बताया गया कि आवेदक को सूचना दिये जाने पर भी आवेदक ने सूचना नहीं लेना है ऐसा कहकर इंकार किया, जिसकी कि पुष्टि हेतु उन्होंने 2 पंचों का पंचनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 18–7–2006 को सरपंच के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि प्रतिपृष्ठ 2/– रूपए की दर से 108/– रूपए जमा कराई जावे। इस नोटिस को भी आवेदक ने लेने से इंकार किया।

दिनांक 25–6–2006 को सूचना उपरांत भी प्रतिअपीलार्थी अनुपस्थित रहे तथा उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी ने बताया कि उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई तथा सरपंच का यह कहना है कि उसने जानकारी लेने से इंकार किया है, सही नहीं है तथा कोटवार से बिना तिथि के हस्ताक्षर करा लिए गये।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयोग के द्वारा निःशुल्क जानकारी दिये जाने के आदेश जन सूचना अधिकारी, ग्रामपंचायत गीद्धा को दिनांक 19–6–2006 को दिये गये थे। किन्तु इसके पश्चात् भी निःशुल्क जानकारी आवेदक को नहीं दी गई। इसके विपरीत आवेदक को 108/– रूपए जमा करने हेतु दिनांक 18–7–2006 को पत्र भेजा गया। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि सरपंच के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा जानकारी लेने से इंकार करने का कथन गलत है। यदि अपीलार्थी जानकारी लेने से इंकार किया था तो जन सूचना अधिकारी डाक से अपीलार्थी को वांछित जानकारी भेज सकते थे, किन्तु उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के निर्देशों के बाद भी अपीलार्थी को जानकारी नहीं दी गई। इससे स्पष्ट है कि जानबूझकर अपीलार्थी को जानकारी प्रदान नहीं की गई। अतः जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत–गीद्धा सरपंच के विरूद्ध 10,000/– रूपए का अर्थदण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20 के अंतर्गत आरोपित किया जाता है तथा प्रतिअपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को वांछित जानकारी निःशुल्क उनके पते पर भेजी जावे।

अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त